फा. सं. डब्ल्यू 02/0046/2018-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी एल-XXII/18

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 27 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर कोष के सृजन पर समेकित दिशानिर्देशों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेवानिवृत्त कार्यपालकों तथा साथ ही वे कर्मचारी जिन्हें पेंशन स्कीम द्वारा प्रर्याप्त रुप से कवर नहीं किया गया है, की चिकित्सा और कोई अन्य आपातकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का 1% से 1.5% के सहयोग द्वारा, कोष के सृजन के संबंध में उपर्युक्त विषय पर सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आज की तारीख तक जारी सभी दिशानिर्देशों को सुलभ संदर्भ और सभी संबंधित के मार्गदर्शन के लिए समेकित किया गया है। इन समेकित दिशानिर्देशों को सक्रिय रुप में इस विभाग की वेबसाईट http://dpe.gov.in पर अपलोड किया गया है।

2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है, कि वे सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी सीपीएसईज़ के नोटिस में इसे लाएं।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी. एन. मिश्रा

(बी. एन. मिश्रा)
निदेशक

सेवा में,
सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार ।
4. संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

बी. एन. मिश्रा

(बी. एन. मिश्रा)
निदेशक

कोष के सृजन पर समेकित दिशानिर्देश

क. केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों की व्यवस्था करने के लिए करना।

आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के कार्यकारी और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के संबंध में वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए गठित दूसरी वेतन संशोधन समिति (दूसरी पीआरसी) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ यह संस्तुति की है कि केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम, सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों के साथ ही उन कर्मचारियों, जो पेंशन स्कीम के तहत पर्याप्त तौर पर कवर नहीं हैं, की चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन जरूरतों की व्यवस्था करने के लिए एक कोष सृजित करने हेतु कराधान पूर्व लाभ (पीबीटी) के 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत के अंशदान से एक कोष बनाएं।

2. लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार, केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मूल वेतन का 30 प्रतिशत और महंगाई भत्ता अनुमत किया गया है जिसमें सीपीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ शामिल हो सकते हैं। जबकि, बहुत–से केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों में पहले से ही उनके सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और/अथवा पेंशन देने की स्कीमें हैं, संभव है कि कई अन्य केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों में उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई स्कीम न हों।

3. इस विभाग ने केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया था कि वे उपर्युक्त संदर्भित दूसरी पीआरसी की सिफारिश को लागू करने की व्यवहार्यता और विधि के बारे में अपने सुविचारित अभिमत दें। तथापि, लोक उद्यम विभाग को कथित सिफारिश के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कोई उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह पाया गया है कि यह सभी केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के लिए आम/एकीकृत स्कीम व्यवहार्य नहीं होगी। हालांकि, इसी के साथ, केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्कीम की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि उन्हें चिकित्सा और आपातकालीन लाभ मिल सकें। ऐसी स्थिति में, बेहतर होगा यदि सिफारिष का कार्यान्वयन करने के लिए कोष सृजित करने अथवा कुछ अन्य करने का निर्णय एक केंद्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रम पर छोड़ दिया जाए।

4. दूसरी पीआरसी की सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपदा जरूरतों की देखरेख करने के लिए, जो पेंशन स्कीम और/अथवा पश्च सेवानिवृत्ति चिकितर लाभ स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, एकल केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम पीबीटी के 1.5% से अनधिक के अंशदान से कोष सृजित कर सकते हैं।

5. अतः प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए स्कीम बनाने पर विचार करने के लिए केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करेः

(i) योजना, वहां स्थापित की जाए जहां केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऐसी योजना की जरूरत महसूस की जाती है।

(ii) योजना में उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखा जाए जो पेंशन योजना और/अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत नहीं आती।

(iii) प्रत्येक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के लिए निदेशक मंडल द्वारा इस योजना के तहत आने वाले केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निधि के संवितरण के लिए निदेशक समिति का गठन किया जाए। समिति चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों की पहचान भी कर सकती है।

(iv) योजना के संचालन की परिचयात्मक वर्ष में, स्कीम के निधियन के लिए पिछले वर्ष के पीबीटी के 1.5 प्रतिशत से अनधिक स्वीकार्य होगा। बाद के वर्षों में, जरूरत के आधार पर, यदि जरूरत पड़ी, कोष में अंशदान किया जाएगा। तथापि, किसी भी मामले में कोष में अंशदान विगत वर्ष के पीबीटी के 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(v) सरकार द्वारा इस योजना के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।

6. तदनुसार, केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम उपर्युक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरत और सामर्थ्य के आधार पर स्कीम बनाने पर विचार करे और प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के समक्ष पेश करे। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से स्कीम के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ले सकता है।

7. अनुमोदित योजना की प्रति रिकॉर्ड हेतु, उचित समयावधि में लोक उद्यम विभाग को अग्रेषित की जाए।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(81)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XVI/2009, दिनांक 08 जुलाई, 2009)

ख. सीपीएसई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कॉर्पस का सृजन

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 08.07.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक मंडल को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकता और वहनीयता के आधार पर उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त योजना तैयार करने और अनुमोदन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। दिनांक 08.07.2009 का कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के पश्चात इस विभाग को बड़ी संख्या में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें योजना को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 08.07.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में यथा सूचित योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा की है।

2. उपर्युक्त के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:–

(i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक साझा कॉर्पस सृजित करने पर विचार किया जाए। इस कॉर्पस का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा देखरेख और किसी अन्य आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करना होगा।

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अधीन प्रत्येक सीपीएसई उपर्युक्त कॉर्पस के लिए अपने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के 15% तक का योगदान देगा।

(iii) उपर्युक्त कॉर्पस के कार्यान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा यथा निर्धारित किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए।

(iv) दिनांक 08.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यथा सूचित किसी सीपीएसई विशेष पर आधारित योजना लागू रखी जाए, परंतु पीबीटी के 15% से अधिक (चाहे मंत्रालय/विभाग) और सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता नहीं जैसी आधारभूत शर्तें मंत्रालय/विभाग आधारित अब प्रस्तावित योजना के लिए लागू होंगी। अतः ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां किसी मंत्रालय/विभाग के अधीन किसी सीपीएसई में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 08.02.2009 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 (iii) में पहले से उल्लिखित योजना से इतर एक अलग योजना हो सकती है।

(v) योजना (किसी मंत्रालय/विभाग के अधीन सीपीएसई के लिए अलग अथवा साझा कॉर्पस) का उद्देश्य उपर्युक्त 2 (i) के अनुरूप होना चाहिए। योजना का कार्यान्वयन प्राथमिक रूप से अनुमोदित बीमा कंपनियों के जरिए किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना परिभाषित लाभ पेंशनभोगी योजना के रूप में नहीं होना चाहिए।

(vi) किसी वर्ष विशेष में सीपीएसई द्वारा अंशदान के आधार पर वर्ष दर वर्ष योजना के अंतर्गत लाभ अलग–अलग हो सकता है, क्योंकि अंशदान संबंधित सीपीएसई के लाभ, वहनीयता और स्थायित्व पर आधारित है।

(vii) 'आपातकालीन आवश्यकताओं' के मुद्दे का निर्धारण उपर्युक्त समिति के पूर्व अनुमोदन से निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रकार्यात्मक जरूरत, वहनीयता, क्षेत्रीय समानताओं और साझा कॉर्पस की स्थिरता के सिद्धांतों के आधार पर किया जाए।

(viii) ऐसे कॉर्पस में सीपीएसई के केवल उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई की सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध है।

4. यह मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (18)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XV/2011, दिनांक 20 जुलाई, 2011)

ग. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह का निर्माण।

अधोहस्ताक्षरित को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त में उल्लेखित विषय पर सम संख्या के डीपीई का.ज्ञा., दिनांकः 20.07.2011 के तथ्यों का अवलोकन करें। डीपीई का.ज्ञा., दिनांकः 20.07.2011 के अनुच्छेद 2(iv) के अंत में दिखने वाली तिथिः 08.02.2009 को दिनांकः 08.07.2009 के रूप में पढ़ा जा सकता है। उक्त का.ज्ञा., दिनांकः 20.07.2011 के अन्य विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(81)/2008–डीपीई (डब्ल्यूसी)जीएल–XIV/12, दिनांक 27 अगस्त, 2012)

घ. 01.01.2007 के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए 'कोर्पस' बनाने और द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों और गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए अधिवार्षिता लाभ योजना लागू करने का मुद्दा।

अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित विषय पर लोक उद्यम विभाग के दिनांक 08.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(81)/08–डीपीई(डब्ल्यूसी) के पैरा '4' और लोक उद्यम विभाग के दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08–डीपीई(डब्ल्यूसी) के पैरा '2' (ii) के साथ पठित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26. 11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08–डीपीई(डब्ल्यूसी) के अनुबंध–IV' के पैरा 'V' और लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(81)/08–डीपीई(डब्ल्यूसी) के पैरा '2(i)' का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ कि उन कर्मचारियों के लिए लाभ, जो केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न है जो कार्यकारी अधिकारी एवं गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षक 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और कर्मचारियों की इन दो परस्पर अनन्य श्रेर्णियों के लिए निधियों की पूर्ति भी भिन्न है। एक प्रशासनिक मंत्रालय ने दोनों योजनाओं के संबंध में लोक उद्यम विभाग की टिप्पणी का अनुरोध किया है। समुचित विचार करने के बाद, यह जरूरत महसूस की गई थी कि दोनों योजनाओं के संबंध में सामान्य स्पष्टीकरण/टिप्पणियां जारी की जाएं ताकि दोनों योजनाओं के संचालन में कोई भ्रम न रहे। इस संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण और लोक उद्यम विभाग की टिप्पणियां/स्पष्टीकरण संलग्न हैं।

2. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वह पूर्ववर्ती को उनके अन्त में कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के नोटिस में लाएं।

डीपीई के दिनांक 24.01.2013 के का.ज्ञा.सं. 2(1)/2013–डीपीई (डब्ल्यूसी) का संलग्नक

क्र.सं.	स्पष्टीकरण की मांग	लोक उद्यम विभाग की टिप्पणियां
1	क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों (01.01.20007 से पूर्व) को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पीबीटी का 1.5 प्रतिशत का अंशदान दिनांक 02.04.2009 (01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिक) {का.ज्ञा. सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)} के तहत कार्यकारी अधिकारियों/गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों को अधिवार्षिता लाभ प्रदान करने के लिए विनिर्धारित 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा से बाहर है।	उन कर्मचारियों के लिए लाभ, जो केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न है जो कार्यकारी अधिकारी एवं गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षक 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और कर्मचारियों की इन दो परस्पर अनन्य श्रेणियों के लिए निधियों की पूर्ति भी भिन्न है। अतः यह योजना भी सरकारी उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। अतः मूल वेतन महंगाई भत्ते के 30 प्रतिषत की अधिकतम सीमा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से 01.01.20007 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों/गैर यूनियनकृत

		पर्यवेक्षकों के संबंध में है और अन्य आपदा जरूरते उन कर्मचारियों के लिए हैं जो 1.1.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं (सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 08.07.2009 और 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन देखें)। मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से 01.01.20007 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों/गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के संबंध में है और यह समय–समय पर व्यक्तियों के संबंधित मूल वेतन पर आधारित है। उपरोक्त के मद्देनजर, पीबीटी का 1.5 प्रतिशत का अंशदान का अधिवार्षिता लाभ प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों (01.01.20007 से पूर्व) को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से कोई संबंध नहीं है।
2	क्या सभी श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक आम चिकित्सा लाभ योजना हासिल करने के लिए 1.1.2007 के बाद के संबंध में सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 02.04.2009 के अनुदेशों के तहत चिकित्सा लाभ योजनाओं के तहत अंशदान और दिनांक 08.07.2009 के तहत कोष सृजित करने के लिए योजना के तहत अंशदान को एक साथ मिलाया जा सकता है अथवा 2007 से पहले और 2007 के बाद सेवानिवृत्त दो अलग–अलग योजनाओं का होना अनिवार्य है? उपर्युक्त स्पष्टीकरण जरूरी है क्योंकि दोनों योजनाओं को एक साथ मिलाने से कुछ वर्षों के बाद दोनों योजनाओं के बीच क्रॉस सब्सिडीकरण हो सकता है जब 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आएगी और 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। {का.ज्ञा. सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)} {का.ज्ञा. सं. 2(81)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)}	मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित अधिवार्षिता लाभों के लिए अंशदान में पीबीटी के 1.5 प्रतिशत में से कोई कोष सृजित नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों की श्रेणियों और प्रत्येक श्रेणी के लिए योजनाओं को आमेलित नहीं किया जा सकता।
3.	क्या 08.07.2009 की स्कीम के तहत कामगारों को कवर करना अनुमेय है जिसमें	कामगार, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी नीतिगत दिशा–निर्देशों के आधार पर प्रबंधन और ट्रेड

	पेंशन स्कीम के तहत शामिल होने वाले, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की चिकित्सा जरूरतों की देखरेख करने के लिए कोष में पीबीटी के 1 से 1.5 प्रतिशत के अंशदान की व्यवस्था की गई है? {का.ज्ञा. सं. 2(81)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)}	यूनियनों के बीच की गई व्यवस्था के तहत कवर किए गए हैं। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 08.07.2009 और 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लेखित पीबीटी के 1.5 प्रतिशत से सृजित कोष सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है, जिसमें 1.1.2007 से पूर्व केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम के कामगार शामिल हो सकते हैं। लोक उद्यम विभाग का दिनांक 26.11.2009 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन, कार्यकारी अधिकारियों और गैर–यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सेवानिवृत्ति लाभों को मूल वेतन के 30 प्रतिशत + महंगाई भत्ते तक सीमित करने का प्रावधान है। कामगारों के लिए, सेवानिवृत्ति लाभ संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच किए गए व्यवस्थापन पर निर्भर करेगा बशर्ते इससे कार्यकारी अधिकारियों और गैर–यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए प्रावधानों में कोई टकराव न हो।
4.	जबकि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के तहत पेंशन और चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की अपेक्षा निर्धारित की गई है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उन सेवानिवृत कर्मचारियों के मामलों में नयूनतम सेवा की अपेक्षा नहीं लगाई गई है जिन्हें लोक उद्यम विभाग के दिनांक 8.7.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1.5 प्रतिशत पीबीटी कोष से चिकित्सा लाभों का भुगतान किया जाना है। {का.ज्ञा. सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)} {का.ज्ञा. सं. 2(81)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)}	लोक उद्यम विभाग के दिनांक 8.7.2009 और 20.7.2011 के कार्यालय ज्ञापनों में 1.1.2007 से पहले सेनानिवृत कर्मचारियों के लिए 1.5 प्रतिशत पीबीटी तक निधि में से लाभ लेने के लिए न्यूनतम सेवा की अपेक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है। {का.ज्ञा. सं. 2(81)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)}
5.	क्या ऐसी योजनाएं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल अंशदायी नहीं होनी चाहिए? कुछ कंपनियां अपनी योजनाओं को अंशदायी बना रही हैं जबकि एचएएल ने कंपनी निधियों से योजना के वित्तपोषण का प्रस्ताव किया है?	लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 और 2.4.2009 के कार्यालय ज्ञापनों में कर्मचारियों की ओर से अनिवार्य अंशदान का प्रावधान नहीं है। उनके सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के लिए कर्मचारियों के अंशदान से सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी और इसीलिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अपनी जरूरतों के हिसाब से योजना बना सकते हैं। {का.ज्ञा. सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)}

6.	क्या यह योजना प्रोत्साहनों और पूर्वापेक्षाओं के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के तहत आती है?	लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 और 2.4.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार अधिवार्षिता लाभों के लिए अंशदान, मूल वेतन के 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा + मंहगाई भत्ते के अध्यधीन है। यह लाभ प्रोत्साहनों और भत्तों के अतिरिक्त है और इसीलिए उसे प्रोत्साहनों और भत्तों के लिए विनिर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा से बाहर है। {का.ज्ञा. सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)}

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(1)/2013–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–VI/13, दिनांक 24 जनवरी, 2013)

*****